भारत निर्वाचन आयोग
Election Commission of India

निर्वाचन सदन
NIRVACHAN SADAN
अशोक रोड, नई दिल्ली –110 001
ASHOKA ROAD, NEW DELHI – 110 001

भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष

कोरम:

माननीय श्री ओ.पी. रावत **निर्वाचन आयुक्त**	**माननीय डॉ० नसीम ज़ैदी** **मुख्य निर्वाचन आयुक्त**	**माननीय श्री ए.के. जोति** **निर्वाचन आयुक्त**

विवाद मामला सं० 2/2017

विवाद मामला सं० 2/2017-ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम में विवाद —निर्वाचन प्रतीक **(**आरक्षण एवं आबंटन**)** आदेश, **1968** के अनुच्छेद **15** के अंतर्गत आवेदन ***के संबंध में***/

श्री ई. मधुसूदनन एवं दो अन्य ..... याची

बनाम

श्रीमती वी.के. शशिकला एवं अन्य ..... प्रत्यर्थी

आदेश

ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम **(***संक्षिप्ति के लिए* "**एआईएडीएमके**"**)** तमिलनाडु राज्य एवं पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र में, एक मान्यता प्राप्त राज्यीय दल है। उक्त राज्य और संघ राज्य - क्षेत्र में इसे निर्वाचन प्रतीक **(**आरक्षण एवं आबंटन**)** आदेश, 1968 (*संक्षिप्ति के लिए* "**प्रतीक आदेश**") के उपबंधों के अधीन इसके आरक्षित प्रतीक के रूप में इसे 'दो पत्तियाँ' प्रतीक आबंटित किया गया है। एआईएडीएमके के संविधान के उपबंधों के अनुसार, दल की अध्यक्षता महासचिव द्वारा की जाती है।

2. सुश्री जे. जयललिता, जिन्हें 2014 में महासचिव के रूप में निर्वाचित किया गया था, का 5 दिसंबर, 2016 को निधन हो गया। दल की **29** दिसंबर, **2016** को बुलाई गई सामान्य परिषद की बैठक में, एआईएडीएमके के महासचिव के रूप में तब तक के लिए श्रीमती वी.के. शशिकला के नामांकन / नियुक्ति के संबंध में कुछ संसूचना थी, जब तक कि पार्टी की उप-विधियों के नियम 20 (2) के अनुसार महासचिव विधिवत रूप से निर्वाचित नहीं हो जाते।

3. श्री ई. मधुसूदनन एवं दो अन्य ने 16 मार्च, 2017 को प्रतीक आदेश के पैरा 15 के अंतर्गत एक आवेदन दाखिल किया था। याचियों ने श्रीमती शशिकला के महासचिव के रूप में कथित नामांकन को इस आधार पर चुनौती दी कि सामान्य परिषद को ऐसे नामांकन करने की कोई शक्ति नहीं थी और इस आधार पर भी चुनौती दी कि श्रीमती शशिकला महासचिव के पद का धारण करने के लिए अर्हता पूरी नहीं करती थी क्योंकि उनके पास दल की पांच वर्ष की अनिवार्य निरंतर सदस्यता नहीं थी। उन्होंने, अन्य बातों के साथ-साथ, एआईएडीएमके का आरक्षित प्रतीक उनके समूह को आबंटित किए जाने का निदेश देने की प्रार्थना भी की। याचियों ने तर्क दिया कि एआईएडीएमके का सामान्य जन उन्हें समर्थन दे रहा है और वह केवल दल का विधानमंडल विंग, जो एक अत्यन्त छोटा गुट है, वह प्रत्यर्थियों का समर्थन कर रहा है।

4. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि तमिलनाडु में 11-डॉ० राधाकृष्णन नगर विधानसभा क्षेत्र में आयोग द्वारा उस दिन (16 मार्च, 2017) को एक उप-निर्वाचन अधिसूचित किया गया था, आयोग ने प्रत्यर्थियों को यह कहते हुए आवेदन की प्रति भेजी कि वे 20 मार्च, 2017 तक अपना उत्तर प्रस्तुत कर दें। दोनों समूहों को निदेश दिया गया था कि वे अपने दावों के समर्थन में उक्त तिथि तक दस्तावेज़ प्रस्तुत करें। प्रत्यर्थियों के अनुरोध पर, उन्हें 21 मार्च, 2017 तक दस्तावेज़ों को दाखिल करने की अनुमति दी गई थी।

5. 20 मार्च, 2017 को, याची ने और अधिक प्रस्तुतियां देने एवं दस्तावेजों को प्रस्तुत करने हेतु एक आवेदन दाखिल किया। उन्होंने 21 मार्च, 2017 को 59 खंडों में अलग-अलग शपथ-पत्र, जो अधिकांशत: दल के शाखा सचिवों के थे, प्रस्तुत किए। इन शपथ-पत्रों में समर्थन की पुष्टि की गई थी। प्रत्यर्थियों ने भी अपनी संख्या के साक्ष्यस्वरूप अलग-अलग शपथपत्रों के 57 खंड दाखिल किए।

6. इस मामले से इस दृष्टि से जुड़ी तात्कालिकता कि कल (23 मार्च 2017) तमिलनाडु में 11-डॉ० राधाकृष्णन नगर विधान सभा क्षेत्र में नाम-निर्देशनों को दाखिल किए जाने की अंतिम तिथि है, इस मामले में पूरे आयोग द्वारा आज, अर्थात्, 22 मार्च 2017 को सुनवाई की गई। सुनवाई पूर्वाह्न 10:30 बजे, जैसा कि नियत था, पर शुरू हुई एवं अपराह्न 05:00 बजे तक छह घंटे से अधिक समय के लिए अविरल जारी रही। याची संख्या 1, 2 एवं 3 के लिए प्रबुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ताओं श्री सी.एस. वैद्यनाथन और श्री कृष्ण कुमार, दोनों ने विस्तारपूर्वक तर्क दिए। इसी तरह, प्रत्यर्थी संख्या 1 एवं 2 की ओर से श्री ए. सुंदरम, श्री मोहन परासरन और श्री सलमान ख़ुर्शीद, सभी प्रबुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा विस्तारपूर्वक मौखिक प्रस्तुतियां दी गई। इसके अतिरिक्त, आयोग ने पूर्व संसद सदस्य, श्री के. सी. पलानीसामी, जिन्होंने पूर्व में 6 जनवरी, 2017 को एक संबंधित मामले में आयोग के समक्ष एक याचिका दायर की थी और जिन्होंने 21 मार्च 2017 को प्राप्त उनके निवेदन के अनुसार

प्रतीक आदेश के पैरा **15** के संदर्भ में मामले में सुने जाने की इच्छा व्यक्त की थी, के प्रबुद्ध अधिवक्ता, श्री मनोज पांडियन को भी सुना। अपने दावों के समर्थन में, याचियों ने **59** खंडों में निहित **15,890** पृष्ठों में भारी भरकम अभिलेखों को दाखिल किया, जिनमें बड़ी संख्या में संसद सदस्यों, तमिलनाडु राज्य विधान सभा सदस्यो और विभिन्न संगठनात्मक स्तरों पर दल के सदस्यों के दस्तावेज़ और व्यक्तिगत शपथपत्र सम्मिलित थे। याचियों द्वारा दाखिल व्यक्तिगत शपथपत्रों की अनुक्रमणिका ही **554** पृष्ठों वाले तीन खंडों में है। याचियों के दावों का विरोध करने के लिए प्रत्यर्थियों ने भी समान रूप से **57** खंडों में **3,975** पृष्ठों का भारी-भरकम अभिलेख दाखिल किया है।

7. अपनी मौखिक प्रस्तुतियों में, ऊपर उल्लिखित प्रबुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने दलीय संविधान के विभिन्न उपबंधों को संदर्भित किया और राजनीतिक दलों में विभाजनों के मुद्दे से संबंधित माननीय उच्चतम न्यायालय के भांति-भांति के निर्णयों का तथा पिछले चार दशकों से अधिक समय के दौरान समय-समय पर निर्वाचन आयोग द्वारा इस तरह के मामलों में जारी किए गए आदेशों का भी सहारा लिया। यत:, प्रत्यर्थियों के लिए प्रबुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अपने दावे के समर्थन में, *सादिक अली बनाम निर्वाचन आयोग एवं अन्य* [1972 एआईआर 187, 1972 एससीआर (2) 318] *में* माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय विशेष रूप से बहुमत के परीक्षण के आधार के संबंध में, का बहुत अधिक सहारा लिया। याचियों के प्रबुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने *सादिक अली* के मामले के अनुपात को, वर्तमान मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में लागू करने से, अन्य बातों के साथ-साथ, यह तर्क देते हुए विभेद करने का अनुरोध किया कि एआईएडीएमके का संविधान भिन्न एवं अद्वितीय है, जिसके अधीन दल के वे प्राथमिक सदस्य ही हैं जिनकी दल की संगठनात्मक संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि दल का महासचिव, जो दल का मुख्य कार्यकारी प्राधिकारी होता है, सीधे उनके द्वारा (प्राथमिक सदस्यों के द्वारा) निर्वाचित होता है।

8. मूल याचिका में, याचियों ने पार्टी के अंतरिम या अस्थायी महासचिव की नियुक्ति से संबंधित किसी भी उपबंध के बिल्कुल भी न होने के संबंध में अन्य आपत्तियों को उठाने के अतिरिक्त, प्रतीक आदेश के पैरा 15 के अधीन दल के महासचिव के रूप में निर्वाचित होने वाले प्रत्यर्थी संख्या 1 की पात्रता के मुद्दे को भी उठाया है। उन्होंने यह तर्क भी दिया कि एक व्यक्ति जो संसद या राज्य विधानमंडल के लिए कोई भी निर्वाचन लड़ने या यहां तक कि एक अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्ता बनने के लिए भी निरर्हित हो, और यहां तक कि किसी निर्वाचन में मत देने का हकदार नहीं हो, उसे एक ऐसे पद के लिए कैसे नियुक्त किया जा सकता है जिसके द्वारा दल के कामकाज का पूरा संचालन उसके हाथों में आ जाता हो और यहां तक कि जो निर्वाचनों के लिए दल की ओर से उम्मीदवारों का चयन भी करता हो। उन्होंने *के. प्रभाकरन बनाम पी जयराजन* (एआईआर **2005** सर्वोच्च

न्यायालय **688)** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों पर भी इस आशय हेतु ध्यान आकृष्ट कराया कि आपराधिक तत्वों को न केवल संसद और राज्य विधानमंडल के गरिमापूर्ण सदनों में, बल्कि राजनीति में भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसी संबंध में उन्होंने विधि आयोग के **244**वें प्रतिवेदन में भी इसी आशय की टिप्पणियां करने के बारे में ध्यान आकृष्ट कराया।

9. अपने उत्तर में, अन्य प्रस्तुतियों के अतिरिक्त, प्रत्यर्थियों ने तर्क दिया कि दल में कोई विभाजन नहीं है और यह केवल आंतरिक असहमति का मामला है। यद्यपि, दाखिल किए गए दस्तावेज़ों और दोनों दलों के प्रबुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा दी गईं मौखिक प्रस्तुतियों के आधार पर आयोग का समाधान हो गया है कि श्री ई**.** मधुसूदनन और श्रीमती वी**.**के**.** शशिकला के नेतृत्व में दल में दो प्रतिद्वंद्वी समूह हैं, और प्रत्येक समूह दल होने का दावा करता है, और इसलिए, इस मामले का अवधारण प्रतीक आदेश के पैरा **15** के संदर्भ में किए जाने की आवश्यकता है।

10. आयोग ने, सुनवाई के प्रारंभ में ही, सभी पक्षकारों को बता दिया था कि वह दल के महासचिव के रूप में प्रत्यर्थी संख्या 1 की नियुक्ति के प्रश्न में नहीं जाएंगे, और यह कि वर्तमान सुनवाई केवल दल के आरक्षित प्रतीक के **11**-डॉ० राधाकृष्णन नगर विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्र से वर्तमान उप-निर्वाचन में उसके अभ्यर्थी हेतु आबंटन किए जाने के प्रश्न तक ही सीमित होगी, जिसके लिए कल **(**23 मार्च, 2017) के अपराह्न 03.00 बजे तक नाम-निर्देशन बंद हो जाएगा। इस प्रकार, फिलहाल, आयोग का सरोकार केवल 11-डॉ० राधाकृष्णन नगर विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्र से उक्त उप-निर्वाचन में दल हेतु आरक्षित उक्त प्रतीक 'दो पत्तियाँ' के उपयोग के सीमित पहलू से है।

11. पूर्वोल्लिखित से, यह स्पष्ट हो जाएगा कि दोनों समूहों द्वारा अपने संबंधित दावों के समर्थन में भारी भरकम दस्तावेज़ों तथा बड़ी संख्या में दाखिल किए गए शपथपत्रों की जांच और विश्लेषण में काफी समय की आवश्यकता होगी, क्योंकि दोनों समूहों ने उन व्यक्तिगत शपथपत्रों में कई विसंगतियों और विधिक शैथिल्यों को इंगित किया है। दलीय संविधान के विभिन्न उपबंधों की गहन जांच की जानी होगी और उन्हें और अधिक सावधानी से देखा जाना आवश्यक होगा, जिनका दोनों समूहों ने तथ्यात्मक और विधिक आधार पर अपनी प्रस्तुतियों को पुष्ट करने के लिए अवलंब लिया है। कोई भी व्यक्ति इस तथ्य से असंतुष्ट नहीं होगा कि **20,000** से अधिक पृष्ठों में दिए गए पूर्वोक्त अभिलेखों का अध्ययन करना और छह से अधिक घंटे तक लगातार प्रबुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा दी गई मौखिक प्रस्तुतियों का विश्लेषण करना और फिर तथ्यों और विधि के विवादित प्रश्नों पर एक निश्चित निष्कर्ष अथवा निर्णय पर पहुंचना मनुष्य के लिए लगभग एक असंभव सी बात है। आज

लगभग **05:00** बजे अपराह्न सुनवाई समाप्त होने के पश्चात्, कल 11.00 बजे पूर्वाह्न **(23** मार्च **2017)** पर नाम-निर्देशन प्रक्रिया आरंभ होने से कुछ घंटे पहले मामले में हड़बड़ी में लिया गया कोई भी विनिश्चय त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष अथवा निर्णय का कारण बन सकता है जो किसी एक अथवा दोनों समूहों के अधिकारों और हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। इसके अतिरिक्त, याचियों के प्रबुद्ध अधिवक्ताओं ने मौखिक रूप से यह भी कहा है कि उन्होंने दल के विभिन्न संगठनात्मक स्तरों एवं स्कंधों पर दल के सदस्यों से और अधिक व्यक्तिगत शपथपत्रों को संग्रहित किया है और संग्रहित करने की प्रक्रिया में हैं, जिसके लिए उन्हें कुछ और समय की आवश्यकता है। उन्हें इस मामले में यथोचित कार्रवाई करने का अवसर देने, जैसा कि प्रार्थना की गई है, से इनकार करना, समता, न्याय एवं निष्पक्षता के हित में उचित नहीं होगा।

12. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों और व्यावहारिक कठिनाइयों और दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए 20,000 से अधिक पृष्ठों में दिए गए भारी-भरकम साक्ष्यों पर — वे भी जो कल देर शाम **(**21 मार्च, 2017) को दाखिल किए गए थे —एवं उनके प्रबुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा दी गईं मौखिक प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए, आयोग ऊपर उल्लिखित उपलब्ध अल्प समय में वर्तमान घड़ी में कोई भी अंतिम निर्णय देने की स्थिति में नहीं है। परिणामतः, इन बाध्यकारी परिस्थितियों में आयोग के पास एक ऐसा अं तरिम आदेश जारी करने के सिवाय कोई अन्य विकल्प नहीं है, जो दोनों विरोधी समूहों के लिए उचित हो। दोनों प्रतिद्वंद्वी समूहों के अधिकारों और हितों की रक्षा करने के लिए उन्हें एक समान स्तर पर रखे जाने हेतु, एवं ऐसे मामलों में दृष्टांतों को ध्यान में रखते हुए, आयोग प्रतीक आदेश के पैरा **15** के संदर्भ में याचियों द्वारा अपनी याचिका दिनांक **16** मार्च, **2017** में उठाए गए विवाद के अंतिम अवधारण को लंबित रखते हुए, विशुद्ध रूप से केवल तमिलनाडु के **11**-डॉ॰ राधाकृष्णन नगर विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्र के वर्तमान उप-निर्वाचन के प्रयोजनों हेतु निम्नलिखित अंतरिम आदेश देता है **:** -

(क**)** याचियों **(**श्री ई**.** मधुसूदनन, श्री ओ पन्नीरसेल्वम एवं श्री एस**.** सेम्मालाई**)** की अगुवाई वाले और प्रत्यर्थियों (श्रीमती वी**.**के**.** शशिकला एवं श्री टीटीवी दिनाकरन**)** की अगुवाई वाले दोनों में से किसी भी समूह को केवल दल के नाम 'ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम' का सीधे-सीधे उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी;

(ख**)** उपरोक्त दोनों समूहों में से किसी को भी 'ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम' के लिए आरक्षित प्रतीक 'दो पत्तियां' का उपयोग करने की अनुमति भी नहीं दी जाएगी;

(ग**)** दोनों समूहों को ऐसे नामों से जाना जाएगा, जिसे वे अपने संबंधित समूहों के लिए, यह दर्शित करते हुए, यदि वे चाहें तो चुनें कि उनकी सहलग्नता उनके मूल दल 'ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम' के साथ है;एवं

(घ**)** तमिलनाडु में 11-डॉ० राधाकृष्णन नगर विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्र के चालू उप-निर्वाचन के प्रयोजनों हेतु, दोनों समूहों को ऐसे विभिन्न प्रतीक भी आबंटित किए जाएंगे जिन्हें वे निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित मुक्त प्रतीकों की सूची में से चुन सकते हैं।

तदनुसार, दोनों समूहों को एतद्द्वारा कल **(**23 मार्च, 2017) 10.00 बजे पूर्वाह्न तक निम्नलिखित उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया जाता है:

(i**)** उनके समूहों के नाम जिनके द्वारा आयोग द्वारा उन्हें मान्यता प्रदान की जा सकती है; तथा

(ii**)** वे प्रतीक, जो संबंधित समूहों द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थियों, यदि कोई हों, को आबंटित किए जा सकते हैं। वे अपने अधिमान के क्रम में, तीन मुक्त प्रतीकों के नाम दे सकते हैं, जिनमें से किसी को भी आयोग द्वारा उनके अभ्यर्थियों के लिए आबंटित किया जा सकता है;

13. इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त दोनों समूहों को 17 अप्रैल, 2017 (सोमवार**)** तक ऐसे सभी दस्तावेज़ों और शपथपत्रों को प्रस्तुत किए जाने का और एक तथा अंतिम अवसर दिया जाता है, जिन पर वे अपने संबंधित दावे निर्भर करना चाहते हैं। वे यह भी ध्यान रखें कि आयोग द्वारा इस मामले में आगे सुनवाई की जाएगी जिसकी तिथि बाद में सूचित कर दी जाएगी।

तद्नुसार आदेशित

ह./-	ह./-	ह./-
(ओ.पी. रावत)	**(डॉ० नसीम ज़ैदी)**	**(ए.के. जोति)**
निर्वाचन आयुक्त	**मुख्य निर्वाचन आयुक्त**	**निर्वाचन आयुक्त**

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2017